



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-६ () उपा.राज्य.(सा.प्र.)/ननिज/2016/175

दिनांक:- 2.2.2016

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), पुलियाओं/आरओबी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित ट्रेन्सलाइट बैकलिट टॉवर 6 मीटर, निर्मित लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4'. ट्राईऐर्यूलर साईनेज, कियोस्क बोर्ड (विजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित बसशील्ट्स, निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यूनिपोल 20'X10' व सूची में अकित चिन्हित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई यूनिपोल विज्ञापन साईट लगाने व निर्मित यूनिपोल विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 123 के बाहर की जायेगी।

नीलामी दिनांक 22.02.2016 से 26.02.2016 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	कियोस्क (विजली के खंभों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), भोतीकुंडरी जोन, आमर जोन, हवामहल (पूरी) जोन, मानसरोवर जोन, विद्यालय नगर जोन, सांगानेर जोन, सिविल लाइन जोन, पुलियाओं/आरओबी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण एवं निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), ट्राईऐर्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड पर).	22.02.2016	कियोस्क हेतु रुपये 1,00,000/- प्रति जोन एवं पुलियाओं/आरओबी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.), प्रति ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री) प्रति 20,000 रु. ट्राईऐर्यूलर साईनेज प्रति (रोड आईलैण्ड पर) के 5,000/- रु. (पाँच हजार रु.).
2.	यूनिपोल- मोती दूगरी जोन, सिविल लाइन जोन, विद्यालय नगर जोन,	23.02.2016	16'X8' साईज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट व
3.	यूनिपोल-मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमर जोन, हवामहल जोन (पूरी).	24.02.2016	30'X15' साईज के यूनिपोल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईट
4.	निर्मित बसशील्ट्स, निर्मित 25 ट्रेन्सलाइट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (एक समूह), निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4' फुट (एक समूह)	25.02.2016	रुपये 20,000/- (बीस हजार रु.) प्रति बसशील्ट्स ट्रेन्सलाइट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के सिए 20,000 (बीस हजार रु.) प्रति साईट, रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रु.) प्रति सुलभ शौचालय, रुपये 50,000/- (पचास हजार रु.) लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल).
5.	24 निर्मित यूनिपोल 20X10 बर्गफुट. एवं उपरोक्त में से रोप व दो विज्ञापन साईट	26.02.2016	निर्मित यूनिपोल साईट 20X10 रुपये 20,000/- (बीस हजार रु.) प्रति एवं शेष विज्ञापन राईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार।

नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त यूनिपोल, ट्राईऐर्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड पर), निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), ओवरब्रिजो पुलियाओं/आरओबी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित ट्रेन्सलाइट बैकलिट टॉवर 6 मीटर, निर्मित लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4', निर्मित बसशील्ट्स, कियोस्क बोर्ड (विजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यूनिपोल 20'X10' विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटों हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राप्ट से निमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त भौक पर जमा करनी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तों की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 226/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 221 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट एवं सोर्टल पर प्रदर्शित करायें।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) साईज 8'X4'

पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की

लाईसेन्स की शर्तें नीलामी वर्ष : फरवरी 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम सीमा में आने वाले 50 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एकजाइ-एकमुश्त की जायेगी ।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एक वर्ष (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक के लिए की जावेगी, जिसकी साईज 8'X4' फीट स्वीकृत सूची के अनुसार होगी । अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी । नीलामी एक वर्ष के लिए होगी । नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती ।
3. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के लिए पचास हजार रुपये बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे । उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी । असफल बोलीदाता को अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी ।
4. नीलामी के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता की बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी । इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी । आगामी वर्ष (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की रवैकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । इस प्रकार वर्ष (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर टेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी किये जाने के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । नगर निगम लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में सहयोग करेगा एवं लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई अडचन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी । इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा ।
8. बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं लगायेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) से अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा ।
9. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
10. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा । इससे मिन्न रूप से लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से इन लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का निर्माण करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जायेगा । कोई भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर डबल साईड विज्ञापन नहीं होगा ।

12. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अरलील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन, नियोन अथवा चलित बोर्ड, फिल्मी पोस्टर आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा ।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अपनी फर्म का नाम एवं साइट नम्बर, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा । ऐसा न करने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा ।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तुफान आदि की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीचे नहीं गिरे । अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी । नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी जयपुर नगर निगम जयपुर, विज्ञापन विधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सकाम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे ।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसींग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घन्टे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी ।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पब्लिक रिकवरी एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समरत अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा ।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी ।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा ।
25. अगर कोई लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
26. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा ।
27. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम विज्ञापन समिति का होगा जो मान्य होगा ।
28. सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) एकलपता से होंगे । भूमि/फुटपाथ की सतह से सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ऊँचाई 7 फुट होंगी । साइट पर फर्म का नाम एवं साइट सख्त लिखना अनिवार्य होगा ।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

५२



कार्यालय नगर निवास, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें

नीलामी : फरवरी 2016

नगर निवास क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी पृथक-पृथक निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 15,000/- अक्षरे (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति निर्मित शौचालय पर अभानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अभानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अभानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जावेगी।
4. निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निवास जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निवास (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
5. विजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीधर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अभानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. निगम द्वारा लाईसेंसी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेंसी को करनी होगी।
9. निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा एवं इन्हें लाईसेंसी द्वारा तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेगे तो नगर निवास नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेंस अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखभाल व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो

- लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
11. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूरिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरुस्त हालत में रखना होगा। कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
 12. लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन उपायुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालत में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 13. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा।
 14. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिरल का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखाता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
 15. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टायलेट की सफाई, यूनिरल फर्श व दीवारे, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए फनाईल, नेप्हीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने वालत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
 16. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगों अंकित करना अनिवार्य होगा।
 17. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
 18. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
 19. लाईसेंसी किसी अन्य व्यक्ति/ऐजेन्सी फर्म को हस्तानान्तरित नहीं करेगा।
 20. लाईसेंसी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा।
 21. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
 22. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
 23. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
 24. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
 25. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 26. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
 27. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
 28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

द्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्त नीलामी : फरवरी 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्त :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात एकजाई साइट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर द्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अडवन हो तो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात यह माना जावेगा कि द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनों तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स दिन किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकगा एवं हर्जा-खर्च लाईसेन्सधारी फर्म से वसूल किया जावेगा।

11. ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लंगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम द्वाईग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाइन बनाने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (खख रखाव) किया जावेगा।
13. ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं अपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पटट, साइट नम्बर, पटट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेवर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले तुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अधीन आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पटट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्थान मू—राजस्व अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
26. अगर कोई ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. सभी ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
29. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

मा॒



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स
की शर्तें नीलामी : फरवरी 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट पर्शलो) नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक—पृथक साइटों के आधार पर बोली आमत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साइज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार) रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात यह माना जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जावेगा जिसे निगम द्वारा हटाया दिया जायेगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तनुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
9. लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटाया जायेगा अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं

- 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्च वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आशिक या पूर्णता होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा।
 11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संघारण (रख रखाव) किया जावेगा।
 12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
 13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबल चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
 14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
 16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
 18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
 21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
 22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
 23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
 24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
 25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जायेगी।
 26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
 27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
 28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

१२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : फरवरी 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों के लिए नीलामी सूची अनुसार पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स कीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के लिए रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी। उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नोकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

January 2016 Auction file/2016.JanuaryAunction ki Sharte New

खायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीबे नहीं पिरे। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
11. $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेक्वर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑफिसरी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकती।
13. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
14. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
15. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
16. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्थान मूँ-राजस्व अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकती।
17. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
18. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
19. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रिफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
20. समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
21. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ($20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जायेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकती।
22. लाईसेंस समाप्ति पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑफिसरी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकती तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका हेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑफिसरी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

१२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईनेज की शर्तें

नीलामी : फरवरी 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि भिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी अंथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्च पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदात को बोली स्वीकृत होने पर ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

9. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेंस अधिकारी में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
11. अमानता राशि लाईसेंस अधिकारी समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेंसी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेंसी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
18. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
21. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

१०२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्तें नीलामी : फरवरी 2016

- नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओं (आर.ओ.बी. एवं फ्लाईओवर) पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाइसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-
1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापन नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
 2. पुलियाओं/ROB पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
 3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुसार एकजाई की जावेगी।
 4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) पुलियाओं/ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
 5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
 6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाईडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फुलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेंसी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'X3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
 7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
 8. पुलियाओं/ROB पर लगने वाले गमले, पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन व चित्रकारी आदि लाइसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाइसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
 9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख-रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 शर्तें-नुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
 10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाइसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाइसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
 11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का लाइसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली

January 2016 Auction file/2016 January Aunction ki Sharne New


67

उमायुक्त (संतुष्ट)
नगर निगम जयपुर

राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

12. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन, चित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़-पौधे सही तरीके से हरे-भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख-रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं की हज़ेर पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरुस्त हालत में रंग-रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा।
13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटों को सही हालत में सम्मलाने पर) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
15. अगर कोई फ्लावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड़/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनलटी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
19. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

बस शैल्टर्स की शर्तें

नीलामी : फरवरी 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. बसशैल्टर्स की नीलामी रोड वाईज (एक समूह में) सूची अनुसार की जायेगी। विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षर (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति बसशैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अद्योग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानवित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन; बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्ज-खर्च पर हटवा देंगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बसशैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी, यदि लाईसेंसी द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्ज-खर्च लाईसेंसी को नगर निगम जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्ज-खर्च तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी।
9. लाईसेंस अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखभाल व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। बस शैल्टर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जाहा है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि

- किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शैल्टर का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
10. लाईसेंस अवधि समाप्ति तक लाईसेंसी को सभी शर्तों की पालना करनी होगी व ठेका अवधि समाप्ति पर बसशैल्टर सही हालत में सुपुर्द करने होंगे। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना लाईसेंसी द्वारा किये जाने पर, जमा अमानता राशि लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर जमा अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
 11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
 12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेंसी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
 13. 15 दिन के नोटिस पर लाईसेंसी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा।
 14. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रैफेक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
 15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी. आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
 18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
 19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
 22. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व शर्तों का आवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
 23. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार खर्च के खर्च पर करना होगा।
 24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
 25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

h
h



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : फरवरी 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर 25 साइटों के समूह के आधार पर बोली आमत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्स को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर दो तरफ विज्ञापन एवं एक तरफ नगर निगम का स्लोगन लगाना होगा।
4. 25 साइटों के समूह के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी। उच्चतम बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात् साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली रसीद होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष के लिए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों का (01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष के लिए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों का नवीनीकरण (01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
7. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विषया जैसे आधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीचे नहीं पिरे। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
12. लाईसेन्स अधिकारी में ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का स्ट्रेकचर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन सभस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
22. अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर सही हालत में होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
23. लाईसेन्स समाप्ति पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेन्स समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका शोत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : फरवरी 2016

- नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाईसेन्स की जोन बार नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार की जावेगी।
- लाईसेन्स की अवधि :— विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेन्सधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- क्षेत्र :— कियोस्क की नीलामी निगम के तीन जोनों के लिए पृथक—पृथक होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकेगा। जोनों के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

आमेर जोन :-

जोरावर सिंह गेट से आमेर रोड कुण्डा बाईपास तक एवं जलमहल चौराहे से पुरानी चूँगी तिराहे, बच्च की घाटी होते हुए, दिल्ली बाईपास रोड कुण्डा तक का भाग शामिल है।

हवामहल जोन (पूर्व) :-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी घौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूँगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

विद्याधर नगर जोन :-

चांदपोल गेट से उत्तर की ओर परकोटे के बाहर का क्षेत्र जिसमें नाहरी का नाका सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुलिस अकादमी का क्षेत्र चांदपोल गेट बाहर से स्टेशन रोड को शामिल करते हुए, रेलवे स्टेशन का उत्तरी भाग जिसमें बनीपार्क बड़ोदिया बस्ती झोटवाडा रोड शामिल है। रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर रेलवे पर निगम सीमा तक उत्तरी ओर का भाग जिसमें झोटवाडा सीकर रोड, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, अम्बाबाड़ी क्षेत्र शामिल है।

सिविल लाईन जोन :-

अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर सवाई रामसिंह रोड टोक रोड, गोपालपुरा रोड चौराहे तक का भाग छोड़ते हुए इसका पश्चिम का भाग जिसमें सी-स्कीम, भवानीसिंह रोड, लालकोठी योजना, बाईस गोदाम सहकार मार्ग, सिविल लाईन का क्षेत्र जिसमें एम.आई रोड, संसार चन्द्र रोड, सरदार पटेल मार्ग अजमेरी गेट रोड शामिल हैं, चांदपोल गेट के बाहर पश्चिम की ओर स्टेशन रोड को छोड़ते हुए स्टेशन तक दक्षिण का भाग रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर, जाने वाली रेलवे लाईन पर निगम सीमा तक इसके दक्षिण का भाग जिसमें सोडाला, खातीपुरा वैशाली, हसनपुरा का क्षेत्र शामिल है। अजमेर मैन रोड शामिल है (सोडाला तिराहा न्यू सांगानेर रोड से किंग्स रोड तक का दक्षिणी भाग शामिल नहीं है)।

मोतीद्वारी जोन :-

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम.आई. रोड शामिल करते हुए आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग / घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोड़ते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमें गोविन्द मार्ग मोतीद्वारी रोड, जवाहर नगर जनता कॉलोनी आदर्श नगर तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल हैं, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टोक रोड टोक पुलिया शामिल एवं पूर्व का भाग शामिल है टोक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाईन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है।

सांगानेर जोन :-

न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) की रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए समस्त सांगानेर क्षेत्र एवं टोक रोड, तारों की कूट, ई.पी. चौराहे से दक्षिणी भाग से नगर निगम सीमा तक का एरिया एवं जवाहर सर्किल से मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग का समस्त एरिया शामिल है।

मानसरोवर जोन :-

टोक रोड तारों की कूट ई.पी. चौराहे का उत्तरी भाग से जवाहर सर्किल होते हुए मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) से टोक फाटक पुलिया (आर.ओ.बी.) तक रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग टोक रोड होते हुए गोपालपुरा बाईपास रोड धर्मकांटा तिराहे तक एवं न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) तक मानसरोवर का समस्त एरिया एवं दुर्गापुरा का समस्त एरिया शामिल है उक्त के अलावा वसुन्धरा कॉलोनी का एरिया एवं अजमेर रोड (मैन रोड को छोड़ते हुए) न्यू सांगानेर सोडाला तिराहे से किंग्स रोड को शामिल करते हुए गोपालपुरा बाईपास तक का दक्षिणी भाग का समस्त एरिया एवं वार्ड नं. 29 की दक्षिणी सीमा तक भी शामिल है।

- निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।

(क) सर्किल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर।

(ख) पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड (जनपथ रोड) पांचबत्ती से विधान सभा तक जे. एल.एन. रोड इत्यादि एवं सहकार सर्किल, बाईस गोदाम पुलिया से बाईस गोदाम सर्किल तक।

- खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हज़ेर-खर्च के लिए लाईसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

- प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा किलप लगाकर खम्बे के दौनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।

- खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विधुत चलित कम्प्यूटराइज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।

- जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाईसेन्सी कियोस्क लगावा सकेगा वहाँ यदि सड़कों के दर्या और बाये और खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी

- द्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड़ की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड़ के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. खम्बों पर कियोस्क सड़क/डिवाइंडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाइसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुधरा रखेगा। तथा निगम की उपनिधियां 2004 एवं रांशोधित विज्ञापन उपविधियाँ—2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लोल व भड़कीले तथा आपाते जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जा—खर्च लाइसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतांग प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतांगे आदि लग जाये तो उसे लाइसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।
 9. कियोस्क लगाते या उत्तराते समय व लाइसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 10. लाइसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके बोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
 11. कियोस्क लाइसेन्सी को स्वयं के खर्च पर लगाने होगे तथा लाइसेन्सी की सम्पत्ति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एक रुपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाइसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्च लाइसेन्सी से अमानता में से वसूल जावेगा।
 12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 100000/- अबरे (एक लाख रुपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाइसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
 13. 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाइसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब कर ली जावेगी।
 14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाइसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ—2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
 15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 16. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
 17. स्थान अथवा जाने सीमा विवाद होने पर लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाइसेन्सी को मान्य होगा।
 18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड़ एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़चन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाइसेन्सधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफंड (पुर्वभरण) नहीं किया जायेगा एवं लाइसेन्सधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
 19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब की जा सकेगी तथा समस्त कियोस्क को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 21. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाइसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पैनल्टी एवं व्याज की राशि लाइसेन्सधारी द्वारा जमा कराई जावेगी। इसके अभाव में लाइसेन्स अमान्य होगा।
 22. नीलामी में लिए गये कियोस्क के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
 23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
 24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
 25. लाइसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

ग्रन्थ

यूनिपोल साईट
मोतीझुंगरी जोन फरवरी 2016 की नीलामी सूची

1	MDZ-02	16x8	टोंक रोड, अशोक मार्ग, स्लीप लाईन पर, एम.जी.डी. स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
2	MDZ-05	16x8	टोंक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर स्लीप लाईन पर, वि.प.न. 2	
3	MDZ-06	16x8	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर चौराहा देखते हुये	
4	MDZ-10	16x8	टोंक रोड, सूचना केन्द्र के सामने, आरोग्य मार्ग के, उत्तरी कोने पर, फुटपाथ पर समानान्तर	
5	MDZ-14	16x8	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानान्तर वि.प.न.1	
6	MDZ-16	16x8	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानान्तर वि.प.न.3	
7	MDZ- 18	16x8	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, अजमेरी गेट की ओर बने पुलिस बूथ के पास समानान्तर।	
8	MDZ-19	16x8	टोंक रोड, उपरोक्त साईट से थोड़ा आगे, सवाई मानसिंह विद्यालय के सामने, दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानान्तर	
9	MDZ- 25	16x8	टोंक रोड, रामबाग सर्किल से सुबोध कॉलेज की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानान्तर	
10	MDZ- 31	16x8	टोंक रोड, सौम्य मार्ग के कोने पर, नेहरू बाल उद्यान की बाउंड्रीवाल के सहारे	
11	MDZ-33	16x8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी - पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न. 2	
12	MDZ- 41	16x8	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
13	MDZ- 42	16x8	उपरोक्त सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर, वि.प.न.2	
14	MDZ- 43	16x8	शांति पथ तिलक नगर, टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के समानान्तर	
15	MDZ-46	16x8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर	
16	MDZ-48	16x8	मोतीझुंगरी रोड पर धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्व कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे।	
17	MDZ- 55	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल मुग्धबधिर स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
18	MDZ- 56	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
19	MDZ- 57	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटी.एस. चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर	

D: Febuary.unipole sites ki suchi/update suchi Febuary unipole Sites 2016

1

संपादक (पांडा)

निर्माता नियम अधिकारी

8h

20	MDZ- 58	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, उपरोक्त के सामने, एम.एन.आई.टी. की दीवार के समानान्तर	
21	MDZ-59	16X8	जे.एल.एन. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी. की कम्पालण्ड की दीवार के समानान्तर, मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1	
22	MDZ-66	16X8	एम.आई.रोड सरावगी मेन्शन के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर	
23	MDZ-71	30X15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास, एम.एन.आई.टी देखते हुये	
24	MDZ- 73	16X8	हिम्मत नगर आरओबी, भास्कर के पास गांधीनगर स्टेशन रोड पर, सरस पार्लर के सामने, रेलवे दीवार के पास फुटपाथ पर।	
25	MDZ- 75	30X15	बजाज नगर ऐनकलेवा स्कीम के सामने,, रेलवे क्वार्टर के बाहर, रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	
26	MDZ- 77	30X15	गांधीनगर स्टेशन रोड, आरओबी से पश्चिम की ओर रेलवे कम्पाउन्ड की दीवार के पास, हाजरी गाह के सामने	
27	MDZ- 78	16X8	जवाहर नगर, सेक्टर 7 के पास बने, सुलभ शौचालय के बाहर, कोने पर फुटपाथ पर	
28	MDZ- 80	16X8	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, आरओबी से पहले, वनविभाग की दीवार के पास बने फुटपाथ पर, आरओबी देखते हुये	
29	MDZ- 85	30X15	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी दीवार के पास।	
30	MDZ- 88	16X8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड की ओर से विज्ञापन पट्टनं. 1	New
31	MDZ- 89	16X8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड की ओर से विज्ञापन पट्टनं. 2	New
32	MDZ- 90	16X8	झालाना छूंगरी महात्मा गांधी मार्ग पर अरण्य-भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर	New

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

१८

2

यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन फरवरी 2016 की नीलामी सूची

1	VDZ-03	16x8	झोटवाड़ा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर	
2	VDZ-07	16x8	झोटवाड़ा रोड, सुभाष नगर जाने वाले रोड के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 1	
3	VDZ-08	16x8	झोटवाड़ा रोड, सुभाष नगर जाने वाले रोड के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 2	
4	VDZ-10	16x8	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुये	
5	VDZ-11	16x8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
6	VDZ- 14	16x8	विद्याधर नगर, सिने स्टार चौराहा के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर।	
7	VDZ- 15	16x8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
8	VDZ- 16	16x8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 2	
9	VDZ- 20	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 1।	
10	VDZ- 21	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।	
11	VDZ- 23	16x8	विद्याधर नगर,, माहेश्वरी गल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 1।	
12	VDZ- 27	16x8	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी-पूर्वी कोने पर	
13	VDZ- 39	16x8	विद्याधर नगर,, पुराने विद्याधर नगर सर्किल पर पश्चिमी की ओर कोने पर।	
14	VDZ- 41	16x8	कलेक्ट्री सर्किल पर कबीर मार्ग के कोने पर, साईट सं. VDZ 44 के पास जयसिंह हाईवे रोड की ओर।	

D: Febuary unipole sites ki suchi/update suchi Febuary unipole Sites 2016

3



उपायुक्त (राजस्व)
 न्याय निवाल उपचार
 ८२

15	VDZ-43	16X8	कलैकट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर, शिव मार्ग की ओर	
16	VDZ- 47	16X8	झोटवाड़ा रोड चांदपोल शमसान धाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुये।	
17	VDZ- 54	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कुल के दक्षिणी-पूर्वी कोने के फुटपाथ पर नया खेड़ा के सामने।	
18	VDZ- 57	30X15	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानांतर कावंटिया सर्किल देखते हुये	
19	VDZ- 58	30X15	चिंकारा कैटिन के सामने साईट सं. 45 के पास चिंकारा कैटिन की ओर सर्किल देखते हुये	
20	VDZ- 59	30X15	कलैकट्री सर्किल अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर	


 उपायुक्त (राज स्व)
 नगर निगम जयपुर

४

यूनिपोल साईट
मानसरोवर जोन फरवरी 2016 की नीलामी सूची

1	MSZ-03	16x8	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट की पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये।	
2	MSZ-04	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं. 1।	
3	MSZ-05	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं. 2।	
4	MSZ-07	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
5	MSZ-08	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहे पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
6	MSZ-10	16x8	मानसरोवर अग्रवाल फार्म इस.एफ.एस. चौराहे पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	
7	MSZ-11	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ महारानी फार्म जाने वाले रास्ते पर दक्षिणी स्लीप लाईन के पास ही वि.प.नं. 2।	
8	MSZ-12	16x8	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुये।	
9	MSZ-13	16x8	मानसरोवर महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउझीवाल के सहारे समानान्तर मानसरोवर देखते हुये	
10	MSZ-25	16x8	गोपालपुरा बाईपास रोड, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पहले पुलिया के पास फुटपाथ पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये	
11	MSZ-34	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिप्रापथ देखते हुये।	
12	MSZ-36	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा रोड देखते हुये समानान्तर वि.प.नं. 3।	
13	MSZ-54	16x8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पोईट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस.एफ.एस की ओर।	

D: Febyuary unipole sites ki suchi/update suchi Febyuary unipole Sites 2016

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
मा.


14	MSZ-56	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरोबी दक्षिण— पश्चिम की ओर रेलवे दीवार के पास जवाहर सर्किल देखते हुये	
15	MSZ-57	30x15	गोपालपुरा आरोबी के पास, आरोबी के दक्षिण और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास साईट सं. MSZ-47 के उत्तरी और गोपालपुरा देखते हुये	
16	MSZ-62	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वल्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पश्चिमी—दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर	
17	MSZ-63	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वल्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी—दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर	
18	MSZ-64	16x8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी—पोइंट पर श्री राम क्षीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 1	New
19	MSZ-65	16x8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी—पोइंट पर श्री राम क्षीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 2	New
20	MSZ-66	16x8	गोपालपुरा बाईपास, किसान धर्मकांठ से आगे 200 फीट बाईपास के टी—पोइंट पर ग्रीन ऐवन मैरिज गार्डन के पास फुटपाथ पर	New

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
मा

यूनिपोल साईट
सिविल लाईन जोन फरवरी 2016 की नीलामी सूची

1	CLZ- 05	16x8	टॉक रोड सवाई मानसिंह स्टेडियम के गेट के उत्तरी कोने पर स्टेडियम की रेलिंग के सहारे।	
2	CLZ- 53	16x8	वैशाली नगर, वैशाली सर्किल पर बने शोपिंग से. की ओर डेयरी के पास सर्किल देखते हुये	
3	CLZ- 60	16x8	वैशाली नगर क्वींस रोड, आम्रपाली तिराहे पर, मिलकट्टी की दीवार के सहारे।	
4	CLZ- 90	16x8	टॉक रोड फल मण्डी रोड, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर	
5	CLZ- 91	16x8	संसार चंद्र रोड, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानांतर	
6	CLZ-100	30x15	टॉक रोड, आरओबी के पास, टॉक फाटक जाने वाले रास्ते पर ट्रांसफार्मर के पास गोयल ज्वैलर्स के सामने	


 उपायुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर

५

यूनिपोल साईट
सांगानेर जोन फरवरी 2016 की नीलामी सूची

1	SNZ-42	16x8	टोंक रोड, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड की ओर से वि.प.न.1	
2	SNZ-44	16x8	टोंक रोड, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड की ओर से वि.प.न.1	
3	SNZ-54	16x8	टोंक रोड, प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग के चौराहे पर पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखते हुये	
4	SNZ-58	30x15	सांगानेर रोड, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाऊदीवाल के पास	
5	SNZ-59	30x15	टोंक रोड, सीतापुरा आरोबी के पास पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ	



उपायुक्त (प्रमेत्य)
नगर निगम जयपुर
१८/२


यूनिपोल साईट
आमेर जोन फरवरी 2016 की नीलामी सूची

1	AMZ-01	16x8	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उद्यान के सामने पार्किंग के पास फुटपाथ पर	
2	AMZ-02	16x8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न. 2	
3	AMZ-03	16x8	आमेर होटल के के.रायल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंती रंगमंच की दीवार के पास।	
4	AMZ-04	16x8	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति विलनिक के पास पूर्व की ओर बने फायर स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।	
5	AMZ-08	16x8	आमेर रोड, होटल होली डे इन, के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुये।	
6	AMZ-09	16x8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न.1	
7	AMZ-17	16x8	आमेर रोड, कुण्डा, ज्योति विलनिक के पास।	



उपायुक्त (प्रमाणित)
नगर निगम अधिकारी

१८



७

यूनिपोल साईट
हवामहल (पूर्व) जोन फरवरी 2016 की नीलामी सूची

1	HMZ(E)-8	16x8	दिल्ली रोड बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.न. 4	
---	----------	------	---	--


उपायुक्त (राजेश ब)



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बस शैल्टर्स सूची

नीलामी फरवरी 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण	सहकार मार्ग	
		सहकार मार्ग	सहकार मार्ग
1	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा।		
2	सहकार मार्ग, जयपुर पैलेस दक्षिणी ओर।		
3	सहकार मार्ग, जे.पी. फाटक के पास पश्चिम की ओर।		
4	सहकार मार्ग, टिन्नी टायज स्कूल से पूर्व की ओर।		
5	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पश्चिम की ओर।		
6	सहकार मार्ग, ईमली वाला फाटक पश्चिम की ओर।		
7	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पूर्व की ओर।		

निर्मित बस शैल्टर्स सूची नीलामी फरवरी 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण	गोपालपुरा बाईपास	
		गोपालपुरा बाईपास	गोपालपुरा बाईपास
1	गोपालपुरा बाईपास रोड़, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के सामने (त्रिवेणी नगर)।		
2	गोपालपुरा बाईपास रोड़, त्रिवेणी नगर चौराहा RHS गुर्जर की थड़ी।		
3	गोपालपुरा बाईपास रोड़, सुभम् मार्बल 10-बी, स्कीम के सामने।		
4	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी सर्किल।		
5	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी के दायी तरफ (केशव विहार)।		
6	गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर तिराहा 80 फीट के सामने।		
7	न्यू आतिश मार्केट, प्रथम गेट के पास नाले के नुककड़ पर, फुटपाथ पर।		
8	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमूना पेट्रोल पम्प के सामने (संतोष नगर)।		

D: Febuary unipole sites ki suchi/update suchi Febuary unipole Sites 2016

18

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

२१




कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बस शैल्टर्स सूची
नीलामी फरवरी 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण क्वींस रोड़
1	अजमेर रोड़, क्वींस रोड़ जंक्शन (पश्चिम दिशा में)।
2	अजमेर रोड़, क्वींस रोड़ जंक्शन (पूर्व दिशा में) नीलकण्ठ कॉलोनी गेट नं. 1 प्लाट नं. 35 के सामने मिलेकट्री की दीवार के समानान्तर।
3	क्वींस रोड़, भान नगर के सामने (पूर्व दिशा में)।
4	क्वींस रोड़, प्रिंस रोड़ जंक्शन पूर्व की ओर।
5	क्वींस रोड़, गांधी पथ जंक्शन पूर्व की ओर।
6	क्वींस रोड़, आम्रपाली मार्ग जंक्शन (पूर्व की ओर)।
7	क्वींस रोड़, आम्रपाली जंक्शन (पश्चिम दिशा में)।
8	क्वींस रोड़, झारखण्ड महादेव मंदिर के पास पूर्व की ओर।
9	क्वींस रोड़, राठौड़ नगर के पास (पश्चिम दिशा में)।
10	क्वींस रोड़, ब्रिगेडियर हाउस पूर्वी साईट।
11	क्वींस रोड़, सिरसी रोड़ जंक्शन पश्चिम की ओर।


 उपायुक्त (उपायुक्त)
 नगर निगम जयपुर
 १२






कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)
की नीलामी सूची, फरवरी 2016

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	क्षेत्र
1	मोतीझूंगरी जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
2	हवामहल (पूर्व) जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
3	आमेर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
4	सांगानेर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
5	मानसरोवर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
6	विद्याधर नगर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
7	सिविल लाईन जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र

उपराज्यकालीन (उपराज्यकालीन)
प्रधानमंत्री की अधीन संचालित राज्य सरकार





कार्यालय नगर निगम जयपुर

निर्मित बैकलिट टॉवर (6 मीटर) की नीलामी सूची फरवरी 2016

क्र.सं.	स्थान
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-जवाहर सर्किल
2.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-ओ.टी.एस सर्किल
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-जवाहर कला केंद्र
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-गोरख टॉवर
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-गणेश मंदिर चौराहा
6.	भवानी सिंह मार्ग-एस.एम.एस स्टेडियम के बाहर
7.	सरदार पटेल मार्ग- रॉक रेस्टोरेन्ट के सामने
8.	सरदार पटेल मार्ग- बी.जे.पी कार्यालय के पास
9.	सरदार पटेल मार्ग- बीन्स रेस्टोरेन्ट के सामने
10.	सरदार पटेल मार्ग- चौमू हाउस सर्किल के पास
11.	सरदार पटेल मार्ग- बी.एस.एन.एल ऑफिस के पास
12.	एयरपोर्ट सर्किल प्लाईओवर के बाहर
13.	एयरपोर्ट सर्किल प्लाईओवर के पहले
14.	गोवर्मेंट प्रेस सर्किल, अशोक मार्ग कार्नर
15.	गोवर्मेंट हॉस्टल सर्किल, एम.आई.रोड़
16.	आमेर रोड़ कुंडा तिराहा
17.	आमेर रोड़ जलमहल के सामने
18.	हवा सड़क गीजगढ़ टॉवर के पास
19.	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच
20.	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच
21.	कर्णीस रोड़ गांधी पथ
22.	विधाधर नगर सेन्ट्रल स्पाईन, आरटी.ओ. ऑफिस के सामने
23.	विधाधर नगर सेन्ट्रल, टाइम स्क्वायर के सामने
24.	ई.पी. के सामने
25.	ई.पी. के बाहर

D: Febyuary unipole sites ki suchi/update suchi Febyuary unipole Sites 2016

नगर निगम जयपुर

16



कार्यालय नगर निगम जयपुर

ओवर हैड साईनेज (गैन्ड्री)

फरवरी 2016 की नीलामी सूची


क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	क्वीन्स रोड, सिरसी रोड जंक्शन, पूर्व की ओर।
2.	कालवाड़ रोड, गोविन्दपुरा स्कीम के पास।
3.	खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा पुलिया के पास।
4.	गोपालपुरा बाईपास रोड पर आतिश मार्केट के पास।
5.	सीकर रोड, खेतान हॉस्पिटल के सामने
6.	सीकर रोड, मुरलीपुरा स्कूल के सामने
7.	सीकर रोड, वी.के.आई. रोड नं. 1 सोनी हॉस्पिटल के पास
8.	सीकर रोड वी.के.आई. रोड नम्बर 8, शर्मा ढाबा के पास
9.	सीकर रोड, अलका सिनेमा के पास।
10.	क्वींस रोड, प्रिसं रोड जंक्शन, पश्चिम की ओर।
11.	क्वींस रोड आमप्राली जंक्शन।
12.	क्वींस रोड, गांधी पथ जंक्शन।
13.	क्वींस रोड, झारखण्ड मोड़ के पास, पश्चिम की ओर।
14.	कलेक्ट्रेट रोड, सेशन कोर्ट गेट नम्बर-1 के बाहर।
15.	कलेक्ट्रेट रोड, खासाकोठी सर्किल के पास।
16.	एम.आई. रोड, गोवर्मन्ट हॉस्टल के सामने।
17.	अजमेर रोड, क्वींस रोड जंक्शन।
18.	गोपालपुरा फ्लाईओवर के पास
19.	रिद्धी-सिद्धी जंक्शन के पास
20.	गोपालपुरा बाईपास, नियर महेश नगर पुलिस थाना
21.	दिल्ली रोड, कुण्डा के पास
22.	कालवाड़ रोड, जोशी मार्ग के पास

सारांश
नाम संग्रह

D: Febuary unipole sites ki suchi/update suchi Febuary unipole Sites 2016

गोप्ता


14



कार्यालय नगर निगम जयपुर

ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर)
की नीलामी सूची, फरवरी 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिहला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2.	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयॉलैण्ड पर।
4.	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टोंक रोड़, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।


 उपायुक्त (सचिव)
 नगर निगम जयपुर
 [Signature]

कार्यालय नगर निगम जयपुर



निर्मित सुलभ शौचालयों की नीलामी सूची
फरवरी 2016

क्र. सं.	कार्य स्थल का नाम
1.	बांगड़, सवाईमानसिंह अस्पताल, जे.एल.एन.मार्ग
2.	ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे के सामने
3.	गवर्नमेन्ट हॉस्टल
4.	सतीशचन्द्र अग्रवाल सर्किल
5.	22 गोदाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
6.	गोपालपुरा बाईपास

धूमर (राजन)

निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम जयपुर

24 निर्मित यूनिपोल "20x10" की नीलामी सूची
फरवरी 2016

क्र. सं.	स्थान
1.	बिरला मन्दिर के पीछे
2.	जवाहर सर्किल
3.	बांगड़ अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
4.	जे.के.लोन अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
5.	मोतीझुंगरी सर्किल
6.	एयरपोर्ट टर्मिनल - 2
7.	सूचना केन्द्र, टोंक रोड़
8.	स्टेट हैंगर
9.	सांगानेरी गेट
10.	टी-पॉइंट, ट्रांसपोर्ट नगर
11.	सांगानेर रोड़, रिद्धी सिद्धी के पास, त्रिवेणी नगर
12.	वर्ल्ड ट्रेड के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
13.	नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर
14.	200 फुट बाईपास, डी.सी.एम. अजमेर रोड़
15.	अजमेरी गेट
16.	आमेर कुण्डा
17.	जलमहल
18.	अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड़
19.	गवर्नेन्ट हॉस्टल
20.	पानी पेच
21.	अजमेर फ्लाईओवर, जलमहल सर्किल
22.	अम्बाबाड़ी, विधाधर नगर
23.	रामगढ़ मोड़
24.	बी-2 बाईपास


 नगर निगम यूनिपोल
 १३



16

पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलो) पर विज्ञापन एवं संधारण
की नीलामी सूची, फरवरी 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	जगतपुरा ROB
2.	सीतापुरा पुलिया ROB
3.	मानसरोवर पुलिया ROB
4.	टोंक फाटक पुलिया ROB
5.	मालवीय नगर ROB
6.	भास्कर पुलिया ROB
7.	सांगानेर फ्लाईओवर
8.	दुर्गापुरा ROB
9.	गोपालपुरा बाईपास ROB
10.	टोंक रोड गोपालपुरा मोड फ्लाईओवर
11.	बाईस गोदाम पुलिया ROB
12.	अजमेर रोड पुलिया ROB
13.	खातीपुरा पुलिया ROB
14.	हसनपुरा पुलिया ROB
15.	खासाकोठी फ्लाईओवर ROB

चयन पात्र (राजस्थान)
नगर निगम जयपुर

४२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4' फुट
फरवरी 2016 की नीलामी सूची

क्र. सं.	साइट नं.	साइट का स्थान		
1.	CLZ-01	टोंक रोड, नेहरू पैलेस के कोने पर फल मण्डी की ओर।		
2.	CLZ-02	पंकज सिंधवी मार्ग, टोंक रोड।		
3.	CLZ-03	भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. मेट नं.-2 के बाहर।		
4.	CLZ-04	सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाऊस सर्किल पी.एच.ई.डी. की दीवार के पास।		
5.	CLZ-05	संसार चन्द्र रोड, गर्वनमेन्ट हॉस्टल चौराहा, होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की दीवार के पास।		
6.	CLZ-06	संसार चन्द्र रोड, आनन्द भवन के सामने, एम.एल.ए. क्वाटर की दीवार के पास।		
7.	CLZ-07	संसार चन्द्र रोड।		
8.	CLZ-08	एम.आई.रोड आकाशवाणी की दीवार के पास।		
9.	CLZ-09	तिलक मार्ग के कॉर्नर पर।		
10.	CLZ-10	अजमेर रोड सोडाला, हटवाडा रोड, चार नम्बर डिस्पेंसरी की दीवार के पास।		
11.	CLZ-11	अजमेर रोड, सोडाला, जमना डेयरी के पास।		
12.	CLZ-12	कर्वीस रोड जाने वाले रास्ते के कोने पर।		
13.	CLZ-13	हवा सड़क सिविल लाईन रोड के पास कोने पर दीवार के पास।		
14.	HMZ (E)-14	आगरा रोड, कब्रिस्तान की दीवार के पास।		
15.	HMZ (E)-15	ट्रॉसपोर्ट नगर चौराहा।		
16.	HMZ (E)-16	अशोक मार्ग पर।		
17.	HMZ (E)-17	सरदार पटेल मार्ग।		
18.	HMZ (E)-18	रामगढ़ मोड, आमेर रोड तिराहे पर उत्तरी-पश्चिमी दीवार के पास।		
19.	HMZ (W)-19	आमेर रोड, परसराम छाव की दीवार के पास।		
20.	HMZ (W)-20	आमेर, मावठा चौक, जीप स्टेप्ल के पीछे दीवार के पास।		
21.	HMZ (W)-21	आमेर, गाँधी चौक, रा.उ.प्रा. स्कूल के पास।		
22.	SNZ-22	गोपालपुरा बाईपास पुलिया के पास।		
23.	SNZ-23	गोपालपुरा बाईपास, गुर्जर की थड़ी चौराहे।		
24.	SNZ-24	गोपालपुरा बाईपास रोड, गोपालपुरा के पास।		
25.	SNZ-25	टोंक रोड, तारों की कूट, पेट्रोल पम्प के सामने।		
26.	SNZ-26	एयरपोर्ट के पास।		
27.	SNZ-27	एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल के पास।		

D: February unipole sites ki suchi/update suchi February unipole Sites 2016

कार्यालय नगर निगम
नगर नियंत्रण बोर्ड
मुख्यमन्त्री

28.	SNZ-28	मानसरोवर मध्यम मार्ग।		
29.	MDZ-29	यादगार के सामने आर.एस.ई.बी. की दीवार के पास।		
30.	MDZ-30	टॉक रोड, नारायण सिंह तिराहा।		
31.	MDZ-31	टॉक रोड, एस.एम.एस. अस्पताल के पास।		
32.	MDZ-32	एम.आई. रोड सॉगानेरी गेट, महिला चिकित्सालय के गेट के पास, रामनिवास बाग की रेलिंग के पास।		
33.	MDZ-33	गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी रोड के कोने पर।		
34.	MDZ-34	भवानी सिंह रोड, सुबोध स्कूल की दीवार के पास समानान्तर।		
35.	MDZ-35	गाँधीनगर के पास।		
36.	MDZ-36	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर कैंसर अस्पताल की दीवार के पास।		
37.	MDZ-37	मालवीय नगर।		
38.	MDZ-38	बापू नगर, जनता स्टोर।		
39.	VDZ-39	झोटवाडा रोड चौदपोल शमशान की दीवार के पास।		
40.	VDZ-40	झोटवाडा रोड, चमत्कारेश्वर मंदिर, दुध मण्डी के पास।		
41.	VDZ-41	झोटवाडा रोड, पानीपेच वाटर वर्क्स स्कूल की दीवार के पास।		
42.	VDZ-42	जयसिंह हाईवे रोड, कलेकट्री सर्किल, कबीर मार्ग की ओर धूरेनियल के पास।		
43.	VDZ-43	जयसिंह हाईवे बनीपार्क फायर स्टेशन की दीवार के पास।		
44.	VDZ-44	स्टेशन रोड।		
45.	VDZ-45	कलेकट्री सर्किल अशोका होटल की दीवार के पास।		
46.	VDZ-46	सीकर रोड, चौमूरोड तिराहा, मिलिट्री की दीवार के पास।		
47.	VDZ-47	सीकर रोड, सोनी अस्पताल की दीवार के पास।		
48.	VDZ-48	झोटवाडा रोड, पुलिया के पास।		
49.	VDZ-49	झोटवाडा रोड, मॉल के सामने।		
50.	VDZ-50	शास्त्री नगर कांवटिया अस्पताल के गेट के पास।		

उपायुक्त (राजस्व)
नगर नियम जयपुर




कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

नई यूनिपोल साईट नीलामी वर्ष फरवरी 2016

1	VDZ-60	30x15	खातीपुरा रोड, आरओबी के दक्षिणी-पश्चिमी ओर रॉयल कॉलोनाइजर की दीवार के पास।	
2	MSZ-64	30x15	गोपालपुरा बाईपास, आरओबी के उत्तरी-पश्चिमी ओर साईट संख्या MSZ-48 के पास।	
3	CLZ-107	30x15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने फुटपाथ पर हसनपुरा देखते हुये।	
4	CLZ-108	30x15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने राजपूताना होटल देखते हुये।	
5	CLZ-109	30x15	बाईस गोदाम आरओबी परिवहन मार्ग पर आरओबी के पास, साईट संख्या CLZ-102 के उत्तरी ओर फुटपाथ पर।	


उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

